ई-मेल

संख्या-08 /2022/1208/23-8-2022-64(पी0डब्ल्यू0)अधि0/2019 टी0सी0

प्रेषक,

संजय प्रकाश मौर्य,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-8 **लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2022**

विषयः लोक निर्माण विभाग में दिव्यांगजन हेतु अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद के रोस्टर के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-462ईएईजी/27ईए/2019, दिनांक 20.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 लोक सेवाओं (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 में उ0प्र0 लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का एक-एक प्रतिशत खण्ड (क), (ख) एवं (ग) और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन निम्नलिखित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता।

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता।

(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।

3- उक्त के दृष्टिगत दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30.07.2021 द्वारा दिव्यांगजनों हेतु पूर्व चिन्हांकन विषयक शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13.01.2011 को अवक्रमित (निरस्त) करते हुए लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है तथा कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2022/18/1/2008/ 47/का-2/2022, दिनांक 04.08.2022 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मात्रा 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत कर दिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के उक्त शासनादेश दिनांक 30.07.2021 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता (सिविल) संवर्ग के पदों हेतु दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षण के लिए निम्नवत् दिव्यांग श्रेणी का पुनर्चिन्हांकन किया गया है:-

क्र0	पदनाम	चिन्हांकन श्रेणी	Category Code		Abbreviation Used	
			अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
1	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	ओ0ए0	O.A.	ओ0ए0	One Arm affected	एक हाथ प्रभावित
		ओ0एल0	O.L.	ओ0एल0	One Leg affected	एक पैर प्रभावित
		एच0एच0	H.H.	एच0एच0	Hard of Hearing	श्रवण शक्ति में ह्रास
		डी0डब्ल्यू0	D.W.	डी0डब्ल्यू0	Dwarfism	बौनापन
		ए0ए0वी0	A.A.V.	ए0ए0वी0	Acid Attack Victims	एसिड आक्रमण पीड़ित

5- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के उक्त शासनादेश दिनांक 30.07.2021 द्वारा उपरोक्तानुसार अधिशासी अभियन्ता (सिविल) संवर्ग हेतु पुनर्चिन्हांकित दिव्यांग श्रेणी में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित निम्नलिखित वर्गो से संबंधित है:-

क्र0	दिव्यांग श्रेणी	दिव्यांग व्यक्ति हेतु आरक्षित वर्ग
1	एच0एच0 (H.H.)	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास
2	ओ0ए0 (O.A.), ओ0एल0 (O.L.), डी0डब्ल्यू0 (D.W.), ए0ए0वी0 (A.A.V.)	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता।

6- अतएव दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/ 2021/ 65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30.07.2021 व कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 04.08.2022 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के प्राविधानों एवं अन्य सुसंगत नियमों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में सृजित पदों पर दिव्यांगजन के आरक्षण हेतु उपरोक्तानुसार पुनर्चिन्हांकित श्रेणी से संबंधित प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लिए निम्नवत् रोस्टर निर्धारित किया जाता है:-

क्र0	पद का क्रमांक	दिव्यांगजन हेतु आरक्षित श्रेणी
1	प्रथम पद	एच0एच0
2	26 वां पद	ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
3	51 वां पद	एच0एच0
4	76 वां पद	ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
5	101 वां पद	एच0एच0
6	126 वां पद	ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
7	151 वां पद	एच0एच0
8	176 वां पद	ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0

9	201 वां पद	एच0एच0
10	226 वां पद	ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
11	251 वां पद	एच0एच0
12	276 वां पद	ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
13	301 वां पद	एच0एच0
14	326 वां पद	ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफिसर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अधीक्षण अभियन्ता (अधि0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- कार्मिक अनुभाग-2
6- दिव्यांजन सशक्तीकरण अनुभाग-3
7- लोक निर्माण अनुभाग-3/4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।